बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–2/अ0प्र0–1–49/18)) /पटना, दिनांक 1-3-21

श्री अनिल कुमार, तदेन कनीय अभियंता को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सिवान में योगदान करने के पश्चात् अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने एवं आदेश की अवहेलना के आरोपों पर योजना एवं विकास विभाग द्वारा निलंबित करते हुए इनके विरूद्व आदेश संख्या 3309 दिनांक 28.06.2016 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री कुमार का पैतृक विभाग ग्रामीण कार्य विभाग होने एवं योजना एवं विकास विभाग में ग्रामीण कार्य विभाग से सेवा प्राप्त अभियंताओं के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत कार्रवाई करने हेतु अनुशासनिक शक्ति योजना एवं विकास विभाग को प्रदत नहीं होने के कारण योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 600 दिनांक 05.02.2018 द्वारा श्री कुमार के विरूद्व आरोप से संबंधित कागजात/अभिलेख ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराते हुए इनके निलम्बन आदेश को अनुमोदित करते हुए इनके विरूद्व अग्रेतर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध किया गया।

3. मामले की समीक्षोपरान्त विभागीय सकारण आदेश संख्या–335 दिनांक 16.01.2020 के द्वारा श्री कुमार की सेवा वापस लेते हुए योजना एवं विकास विभाग द्वारा किये गये निलंबन आदेश को विनियमित कर श्री कुमार का मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

4. श्री अनिल कुमार, तदेन कनीय अभियंता, सम्प्रति निलंबित के विरूद्व उक्त आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के तहत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–07 सह–पठित ज्ञापांक–359 अनु0 दिनांक 17.01.2020 द्वारा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

5. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5313 दिनांक 22.12.2020 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्व लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

अतएव उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुये श्री अनिल कुमार, तदेन कनीय अभियंता सम्प्रति निलंबित को निलंबन मुक्त करते हुये आरोप मुक्त किया जाता है।

25/2/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :— का0आ0सं0–2/अ0प्र0–1–49/18 455 /पटना, दिनांक :– 1-3-21

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :— का0आ0सं0–2/अ0प्र0–1–49/18 455 /पटना, दिनांक :– 1-3-21

प्रतिलिपि:– सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर/सिवान–1/प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा शाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री अनिल कुमार, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सिवान सम्प्रति निलंबित मुख्यालय, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–ग्राम–बलभद्रसराय, पोस्ट+थाना–हिलसा, जिला–नालंदा (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/21

अभियंता प्रमुख

(1)